UPSP010062762026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी. 1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2494/2026

राजू सैनी पुत्र योगेश सैनी, निवासी पीर वाली गली, सरदार कालोनी, थाना मण्डी, सहारनपुर ।
..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य ..... अभियोजन

मु.अ.सं.– 44/2026
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–कोतवाली मण्डी, जिला– सहारनपुर।

29–06–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **राजू सैनी** पुत्र योगेश सैनी द्वारा मु0अ0सं0–44/2026, धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना कोतवाली मण्डी, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ मीना सैनी पत्नी योगेश सैनी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बेगुनाह है। प्रार्थी को वाद उपरोक्त में झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी को थाना मण्डी पुलिस द्वारा घर से उठाकर उक्त वाद में झूठा अभियुक्त बनाया गया है, जबकि प्रार्थी का उक्त वाद की घटना से कोई मतलब वास्ता किसी किस्म का नहीं है। उक्त वाद की घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी के कब्जे से फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। समस्त कार्यवाही थाने पर बैठ कर झूठा व फर्जी की गयी है। प्रार्थी को गिरफ्तार करते समय एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार धारा 42, 50, 57 का पालन नहीं किया गया। प्रार्थी के विरुद्ध थाना मण्डी द्वारा मु0अ0सं0 68/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 69/22 धारा 420, 465, 411 भा0दं0सं0 व मु0अ0सं0 70/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज किये गये हैं। उक्त मुकदमो की घटना एक ही दिन की एक ही समय की दर्शायी गयी है। उक्त मुकदमों में प्रार्थी जमानत पर है। मु0अ0सं0 269/19 धारा 457, 380, 411 भा0दं0सं0 व 08/24 धारा 457, 380, 411 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली देहात दर्ज है, जिनमें भी प्रार्थी जमानत पर है। प्रार्थी दिनांक 02.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त राजू सैनी को पुलिस कर्मियों द्वारा घ टनास्थल से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से **115 ग्राम** अवैध **चरस** की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त के विरुद्ध 04 अन्य मामले भी पंजीकृत हैं, जिसमें 01 मामला एनडीपीएस एक्ट का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्रदान किये जाने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **राजू सैनी** को मौके से पकड़े पर उसके कब्जे से **115 ग्राम** अवैध **चरस** बरामद होना अभिकथित है। उपरोक्त बरामद चरस के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	अभियुक्त से बरामद
23	चरस	100 ग्राम	1000 ग्राम	115 ग्राम

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद चरस की मात्रा अल्पमात्रा से थोड़ी अधिक है, किन्तु वाणिज्यिक श्रेणी से काफी कम है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है तथा दर्शाये गये आपराधिक इतिहास के मामलों में अभियुक्त जमानत पर है। अभियोजन की ओर से भी आपराधिक इतिहास के मामलो में अभियुक्त के दोषसिद्ध होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनाँक 02.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **राजू सैनी** पुत्र योगेश सैनी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–44/2026, अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना कोतवाली मण्डी, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये, कि–

(1) अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा और बिना किसी कारण कोई स्थगन नहीं देगा और गवाह आने पर प्रत्येक स्थिति में गवाह से प्रतिपरीक्षा करेगा,

(2) अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा, और

(3) अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 29–06–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.06.29 16:01:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur